न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/112/2025 रजि0 न0 2025/291

अपीलार्थीः—

श्री हरद्वारी लाल, नि. ई—30 भू—तल, प्रीत विहार, दिल्ली—110092

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 25.08.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा—6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 17.05.2025 के परिपेक्ष्य में सूचना नहीं मिलने बाबत अभिकथन किया गया है ।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है एवं इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 12.08.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर द्वितीय से जवाब पत्र संख्या लो0सू0अ0/प्रथम अपील 2025/1143 दिनांक 21.08.2025 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ है जिसे अभिलेख पर लिया गया व अपील में उठाये गये तथ्यों—प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किया गया । प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाब में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 17.05.2025 को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार आर0टी0आई0 ऑनलाइन पोर्टल पर जरिये आवेदन संख्या 293220543206814 दिनांक 26.05.2025 दर्ज रजिस्टर कर आवेदन मे वांछित सूचना इस लोक प्राधिकरण से संबंधित नहीं होने के कारण आर0टी0आई0 ऑनलाइन पोर्टल पत्र स. 9334545655 दिनांक 28.05.2025 के माध्यम से मूल आवेदन तहसीलदार लक्ष्मणगढ अलवर का अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया जा चुका है । प्रति संलग्न है । इसी क्रम में माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर के द्वितीय अपील प्रकरण सं. RIC/ALWR/A/2024/001131 निर्णय दिनांक 21.03.2024 एवं प्र0सं0 अपील सं. RIC/ALWR/A/2024/001132 निर्णय दिनांक 21.03.2024 बउनवान मदनसिंह यादव बनाम राज लोकसूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर में पारित निर्णय क आलोक में **अपीलार्थी के संज्ञान में जानकारी होने के बावजूद भी असंगत लोकप्राधिकारी के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है,** इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर अपीलार्थी को सूचना आवेदन के संबंध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, इस परिपेक्ष्य में अपील पोषणीय नहीं है । तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ अलवर के स्तर पर अपेक्षित सूचना/जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।
6. तथापि प्रथम अपील के अनुसरण में पूर्व में प्रेषित सूचना/विनिश्चय पत्र की छाया प्रति अपीलार्थी को पुनः उपलब्ध कराई जा रही है । अपील खारिज किये जाने योग्य है । उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है।
7. आज दिनांक 25.08.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डा. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर